



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

कार्यालय : होशंगावाट रोड, भोपाल

कमांक 1257 / परीक्षा / 2010.

भोपाल, दिनांक 21/12/2010

## अधिसूचना

वर्ष 2010-2011 की स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर/ए.टी.के.टी. तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर ए.टी.के.टी. परीक्षा के आवेदन पत्र जमा करने के लिए निम्नांकित तिथि निर्धारित की जाती है :

सामान्य शुल्क के साथ	-	24/12/2010 से 05/01/2011
विश्वविद्यालय में जमा करने की तिथि (जिला-विदिशा, सीहोर, रायसेन, होशंगावाट)	-	10/01/2011
विश्वविद्यालय के जमा करने की तिथि (जिला- बैतूल, हरदा, राजनाद, भोपाल)	-	11/01/2011
विलम्ब शुल्क रु. 300/- के साथ	-	06/01/2011 से 10/01/2011
विशेष विलम्ब शुल्क रु. 500/- के साथ	-	11/01/2011 से 14/01/2011
विश्वविद्यालय में जमा करने की तिथि	-	17/01/2011


परीक्षा आवेदन पत्र की कीमत 100/- निर्धारित की गई है, तथा परीक्षा शुल्क परीक्षा आवेदन पत्र में उल्लेखित है। चूंकि स्नातक/स्नातकोत्तर के समस्त छात्र नियमित हैं अतः प्राचार्यो से अनुरोध है कि प्रत्येक संकाय के छात्रों के जमा राशि को अलग-अलग संकायवार डिमान्ड ड्राफ्ट बनाकर, जोकि कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से देय होगा, निर्धारित तिथि दिनांक 05-01-2011 तक विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे।

महाविद्यालय-में अध्ययनरत छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र की सूची (ड्राफ्ट सहित) संकायवार तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छात्रों से परीक्षा शुल्क महाविद्यालय में जमा करवाकर कक्षावार एवं विषयवार बैंक ड्राफ्ट बनाने में आने वाला व्यय छात्रों से प्राप्त परीक्षा शुल्क से ही विकलनीय होगा।

छात्रों की परीक्षा शुल्क निम्नानुसार जमा की जावेगी:-

01. नियमित छात्र परीक्षा शुल्क रूपये 1000+120=1120/-
02. एक विषय की पूरक/ए.टी.के.टी रूपये 600/-
03. दो विषय की पूरक/ए.टी.के.टी रूपये 750/-



कुलसचिव 21/12/10

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/12/2010

पृ. कमांक 1258 परीक्षा / 2010  
प्रतिलिपि:—

- 1- समस्त प्राचार्य,सम्बद्ध महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया जारी अधिसूचना को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने की व्यवस्था करें।
- 2- उप-कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 3- सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा/भण्डार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- अविष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु